न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल,ग्वालियर जिला ग्वालियर (म.प्र.)

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

विलोपित

508

R. 2446 - II/12

वृन्दा सिंह मार्को पत्नी शिवराम सिंह मार्को
निवासी अनूपपुर, तहसील–अनूपपुर जिला अनूपपुर (म.प्र.) ---- निगरानीकर्ता

राजेश मिश्रा, अभि०
आज दि. 3-8-12 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 3-8-12
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1– श्रीमती बेलावती पत्नी रमेश सिंह निवासी अनूपपुर, तहसील–अनूपपुर जिला अनूपपुर (म.प्र.)
2– रमेश सिंह आत्मज मोलई सिंह (पटवारी) निवासी अनूपपुर, तहसील–अनूपपुर जिला अनूपपुर (म.प्र.)
3– राम कृपाल गुप्ता आत्मज दया शंकर गुप्ता निवासी ग्राम जैतहरी, तहसील–जैतहरी जिला अनूपपुर (म.प्र.)
4– मध्य प्रदेश राज्य जरिये कलेक्टर अनूपपुर जिला अनूपपुर (म.प्र.) ––गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध राजस्व प्रकरण क्रमांक 06/स्वमेव निगरानी/10–11 म.प्र. शासन द्वारा राम कृपाल गुप्ता बनाम बेलावली एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.05.2012 में पारित आदेश.
निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता.

मान्यवर,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्नलिखित आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है :–

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य

1– यहकि संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता एक आदिवासी जन जाति समुदाय की कम पढ़ी लिखी महिला है। निगरानीकर्ता के द्वारा भूमि खसरा नम्बर 1081/1क/1स रकवा 0.012 हे0 भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किया जाकर भूमि स्वामी के अधिकार अर्जित किया। भूमि क्रय किये जाने के बाद भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर राजस्व निरीक्षक को सीमांकन किये जाने के लिए आदेश पारित किया जिस पर राजस्व निरीक्षक ने भूमि का सीमांकन नहीं किया और सीमांकन ना किये जाने का कारण प्रतिवेदन श्रीमान तहसीलदार महोदय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि सीमांकन के लिए प्रस्तावित भूमि के खसरा नम्बर का राजस्व नक्शा जीर्ण–शीर्ण है और जिला अभिलेखागार में भी नक्शा उपलब्ध नहीं है। अतः सीमांकन किया जाना सम्भव नहीं है। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार महोदय के द्वारा निगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया। जिस कारण से सीमांकन नहीं हो सका। निगरानीकर्ता ने पूर्व भूमि स्वामी के कब्जे दखल की भूमि जिसे कि समस्त अन्य ग्राम वासियो व राजस्व कर्मचारियों की जानकारी में था, कब्जा प्राप्त किया और अपने निवासीय प्रयोजन के लिए मकान बनाकर शांति पूर्वक तरीके से निवास करने लगी।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग.-2446-दो/2012

जिला-अनूपपुर

वृन्दा सिंह मार्को विरूद्ध श्रीमती बेलावती आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री अनूपदेव पाण्डेय उपस्थित। 3. यह निगरानी कलेक्टर अनूपपुर, जिला- अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक- 06/ स्व. निगरानी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 25-05-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 03-08-2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय	

में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 25-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त शहडोल के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 22/01/19
सदस्य